न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :बाबुलाल कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व प्रथम अपील संख्या 215/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्यामसिंह पुत्र शिवसिंह 2. देवीसिंह पुत्र श्री शिवसिंह, 3. श्रीमती हवा कंवर पत्नि श्री शिवसिंह सभी जातियान राजपूत निवासी भाटियों का डेर सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 4. श्रीमती सुआ देवी पुत्री राजूराम मेघवाल, निवासी– भाटियों का डेर सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 21.12.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा मुकदमा संख्या 241/2017 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम श्यामसिंह में पारित किया गया

उपस्थितिः–1. श्री आवडदान उज्जवल, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः ५ जून, 2019

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सिणधरी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.9.2017 को अपीलार्थीगण के विरूद्व नियम 58 राजस्थान भू राजस्व(भू अभिलेख) नियम 1957 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम भाटीयो का डेर के खसरा नम्बर 468/124 में बारहमासीय रास्ता चल रहा है, जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। इसलिये इसे राजस्व रेकर्ड मे

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 के द्वारा बिना अपीलान्टस को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही उक्त खसरान भूमि के राजस्व रेकर्ड में रास्ते दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के विपरित जाकर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ग्राम भाटियों का डेर तहसील सिणधरी की वादग्रस्त खसरा संख्या 468/124 अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त खसरान भूमि में किसी प्रकार का रास्ता आया हुआ नहीं है और न ही कोई बारहमासीय रास्ता इसमें से होकर गुजरता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिससे अपीलार्थीगणों के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडा है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट संख्या एक को जो तामील करवाई गई है, वह नियमानुसार सही नहीं करवाई गई है, पटवारी हल्का के द्वारा अपीलान्ट के नोटिस पर पर शिव सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी तरीके से तामील बता दिया क्यों कि अपीलान्टस संख्या एक व दो के पिता व अपीलार्थी संख्या 3 के पति शिवसिंह की बहुत समय पूर्व ही मृत्यु हो गई थी, ऐसे में अपीलान्ट की तामील पूर्ण कराये बिना ही अपीलान्ट की तामील मानते हुए पारित किया गया अपीलाधीन आदेश त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने अन्त में यह निवेदन किया कि अपील को स्वीकार फरमाई जावे तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 21.12.2017 जो उपखण्ड अधिकारी सिणधरी जिला बाडमेर द्वारा मुकदमा संख्या 241/2017 में पारित किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र. दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कृषि भूमियों पर वर्तमान में चलित रास्तों को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है जिसके क्रम में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष तहसीलदार सिणधरी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राज. भू राजस्व अधिनियम तथा राज. भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम भाटियों का डेर की सरहद में आये खसरा संख्या 468/124 में बारहमासी रास्ता होना बताते हुए उसे खातेदारान की खातेदारी में रखते हुए रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया था, जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलान्टस की तामीली पूर्ण कराकर उक्त खसरान भूमि में रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो उचित है अतः अपीलान्टस की अपील को खारिज कर दिया जावें।

हमनें उपस्थित दोनों पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष तहसीलदार सिणधरी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राज. भू राजस्व अधिनियम तथा राज. भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60(एच) तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम भाटियों का डेर की सरहद में आये खसरा संख्या 468/124 में बारहमासी रास्ता होना बताते हुए उसे खातेदारान की खातेदारी में रखते हुए रास्ता दर्ज किया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को बिना विधिवत्त अपीलान्ट को नोटिस तामिल कराये ही स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 के द्वारा उक्त खसरान भूमि के बारहमासी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किये है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील में यह अंकन किया कि अपीलान्ट संख्या एक की तामीली फर्जी तरीके से हस्ताक्षर किये जाकर पूर्ण करवाई गई है और उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अपीलान्ट संख्या एक को जारी नोटिस के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित तामील कुनिन्दा के द्वारा अपीलान्ट की तामील गलत तरीके से करवाई गई है क्योंकि अपीलान्ट के पिता का देहान्त वर्षो पूर्व होना स्पष्ट प्रतीत होता है। किसी पक्षकार

के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को विधि विपरित होने से यथावत बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण संख्या 241/2017 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधि अनुसार अपीलान्टस को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं धारा 131 एवं 132 राज. भू राजस्व अधिनियम तथा राज. भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60(एच) मे दी गयी निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर